

August 29, 2026

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001
BSE Symbol: INDOFARM
BSE Scrip Code: 544328

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, "G" Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051
NSE Symbol: INDOFARM

Dear Sir/Madam,

Subject: Intimation of Newspaper publication Advertisement regarding 26th Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing/other Audio-Visual means ("VC/OAVM") facility.

Pursuant to the Regulation 30 read with Schedule III, Part A, Para A, and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), as amended, and in compliance Rule 20(4)(v) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, we are enclosing herewith copies of the newspaper advertisements dated August 29, 2026, ("Annexure 1") published in Financial Express (All India edition in English) and in Jansatta in (Chandigarh edition in Hindi) confirming dispatch of notice of the 26th AGM of Indo Farm Equipment Limited ("Company") and Integrated Report for the FY 2025-26 via e-mail to the shareholders of the Company.

The above information is also available on the website of the Company.
<https://www.indofarm.in/investor-relations/>.

We request you to take the above on record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Indo Farm Equipment Limited

Navpreet Kaur
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. F8353

Encl: As above



पटियाला की केंद्रीय जेल में शुक्रवार को रक्षाबंधन पर्व पर अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची महिलाएं।

नाबालिग से बलात्कार के आरोप में सरकारी स्कूल का प्रधानाध्यापक गिरफ्तार

चंडीगढ़, 28 अगस्त (एजंसी)। पंजाब के होशियारपुर में एक सरकारी स्कूल के 52 वर्षीय प्रधानाध्यापक को इस महीने की शुरुआत में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि 11 अगस्त को दोपहर करीब 1.30 बजे से 2.30 बजे के बीच गांव के रमशाना घाट के पास बच्ची के साथ गलत काम किया गया। उन्होंने बताया कि नाबालिग बच्ची के पिता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पावसो) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा थाने के थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गुरबचन सिंह ने बताया कि आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच जारी है।

पंजाब : हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, छह गिरफ्तार

चंडीगढ़, 28 अगस्त (ब्यूरो)। पंजाब पुलिस ने हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल दो अलग-अलग गिरोह का भंडाफोड़ कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शुक्रवार को बताया कि आरोपियों के कब्जे से आठ पिस्तौल और लगभग तीन किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी सीमा पार से तस्करी में शामिल थे और ड्रोन के जरिए हथियारों तथा मादक पदार्थों की खेप मंगवाकर पंजाब में आपराधिक तत्वों तक पहुंचाते थे। डीजीपी ने कहा कि अमृतसर के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ थाने में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। सीमा पार गिरोह से जुड़े सभी व्यक्तियों की पहचान करने और नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

विधानसभा अध्यक्ष ने मधुबन में मिला आवास लौटाया

चंडीगढ़, 28 अगस्त (जनसत्ता)। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरचंद्र कल्याण ने पुलिस कॉम्प्लेक्स मधुबन (करनाल) में कैप कमंडालय के लिए आवंटित सरकारी मकान वापस लौटा दिया है। कल्याण ने मकान पर कब्जा नहीं लिया है। विस अध्यक्ष का कैप आफिस फिलहाल करनाल के निकट स्थित कल्याण फार्म हाउस से संचालित होता है। यहीं उनका पुश्तैनी घर भी है, जो काफी जर्जर हो चुका है। उन्होंने इसके पुनर्निर्माण की योजना बनाई। उनके अनुरोध पर हरियाणा सरकार ने 26 अगस्त को पुलिस कॉम्प्लेक्स मधुबन में मकान आवंटित किया। अब कल्याण ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की कि उनका कैप कार्यालय कल्याण फार्म हाउस से ही संचालित होता रहेगा, इसलिए पुलिस कॉम्प्लेक्स में अलग से सरकारी मकान की आवश्यकता नहीं है।

हरियाणा में अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण की सुगबुगाहट तेज

अदालती फैसलों के बाद मुख्य प्रधान सचिव ने दिए कार्रवाई के निर्देश

चंडीगढ़, 28 अगस्त (जनसत्ता)। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पिछले 20-21 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे लगभग 12 हजार अतिथि अध्यापकों में नियमित होने की नई उम्मीद जागी है। ये अध्यापक पिछले दो महीनों से लगातार अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। राज्य सरकार की ओर से कालेजों में कार्यरत करीब पांच हजार अतिथि लेक्चरर को पहले ही नियमित किया जा चुका है, जिसके बाद स्कूलों में कार्यरत इन 12 हजार अतिथि अध्यापकों की नियमित करने की मांग और अधिक मुखर हो गई है। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से दिए गए अहम आदेशों ने इस मामले को नया मोड़ दिया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 25 मई 2026 को आदेश जारी कर दो महीनों के भीतर अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के निर्देश दिए थे। इसके पश्चात छह अगस्त 2026 को दोहरी पीठ की ओर से सुनवाई के दौरान भी दो महीने के भीतर नियमितीकरण प्रक्रिया पूरा करने के आदेशों पर मुहर लगाई गई। अदालती आदेशों को धरातल

संघर्ष समिति के प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से की मुलाकात। मुख्यमंत्री सैनी के साथ जल्द हो सकती है उच्चस्तरीय बैठक। **स्कूलों** में कार्यरत हैं 12 हजार अतिथि अध्यापक। इनमें काफी ऐसे जो 20 साल की सेवा पूरी कर चुके।

पर लागू करवाने के उद्देश्य से राज्य के अतिथि अध्यापक संगठन अब पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं। उन्होंने मिलकर 'हरियाणा गेस्ट टीचर्स संघर्ष समिति' का गठन किया है, जिसमें मैना यादव, कुलदीप झरोली, अजय लोहान, कृष्ण धारसूल, राजेंद्र शास्त्री, पारस शर्मा और नरेंद्र संघु शामिल हैं। संघर्ष समिति के प्रतिनिधि अजय लोहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए पत्र में शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि वे वर्ष 2014 में सरकार की ओर से बनाई गई नीति (16 जून 2014 व 18 जून 2014) की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, परंतु वर्षों बाद भी

पक्के नहीं हो पाए हैं। अनेक शिक्षक तो अब सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। मामले की गंभीरता और अदालती आदेशों का संज्ञान लेते हुए मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने पत्र पर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खुल्लर ने कहा कि अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की संपूर्ण रूपरेखा और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को अविलंब सौंपी जाए।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्य के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी अतिथि अध्यापकों के विषय में गहरी रुचि दिखाई है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों को सुना और आश्चर्यत किया कि वे जल्द ही शिक्षक प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ एक विशेष बैठक आयोजित कराएंगे। वहीं, मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू ने भी अतिथि अध्यापकों प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी मांगों पर पूरी सहानुभूति और गंभीरता के साथ विचार कर रही है।

पार्टी के अंदरूनी मामलों पर बयान देने वाले तीन भाजपा नेताओं से मांगा जवाब

चंडीगढ़, 28 अगस्त (ब्यूरो)। पंजाब भाजपा की अनुशासन समिति ने संगरूर में 25 अगस्त को हुए एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिए गए बयानों को लेकर पार्टी के तीन नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। पार्टी के एक बयान में शुक्रवार को बताया गया कि ये नोटिस संगरूर के पूर्व जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह देओल और मनinder सिंह कपियाल और पंजाब भाजपा के पूर्व राज्य सेल समन्वयक जतिंदर कालरा को जारी किए गए हैं। अनुशासन समिति के अध्यक्ष सोम प्रकाश की ओर से जारी नोटिस के अनुसार इन तीनों नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा

तापमान	मौसम	
अधिकतम- 36.0	पूर्वाहुतामन कुछ स्थानों पर बादल छाते	सूर्योदय- 05:57
न्यूनतम- 27.0	व उमस रहने की संभावना	सूर्यास्त- 06:50

जनसत्ता | 29 अगस्त, 2026

बढ़ सकती हैं पूर्व खेल मंत्री संदीप की मुश्किलें बलात्कार के प्रयास की धाराएं जोड़ने की मांग लेकर फिर अदालत पहुंची कोच

चंडीगढ़, 28 अगस्त (जनसत्ता)। यौन उत्पीड़न मामले में जांच का सामना कर रहे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री एवं भारतीय हाकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिकायतकर्ता महिला कोच ने चंडीगढ़ की जिला अदालत में आवेदन करके यौन उत्पीड़न मामले में अब बलात्कार के प्रयास की धाराएं जोड़ने की मांग की है। महिला कोच ने चंडीगढ़ जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर आइपीसी की धारा 376 और 511 जोड़ने की मांग की है। पहले यह मांग चंडीगढ़ पुलिस की ओर से की गई थी। उस समय निचली अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया था। अब पीड़िता ने खुद अदालत का रुख किया है। इस अर्जी पर चार नवंबर को सुनवाई करेगी। महिला कोच का कहना है कि उसके साथ केवल छेड़छाड़ नहीं हुई थी, बल्कि बलात्कार का प्रयास भी किया गया था। संदीप सिंह के खिलाफ फिलहाल आइपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342, 506 और 509 के तहत मुकदमा चल रहा है। महिला कोच ने अब इसमें धारा 376 और 511 जोड़ने की मांग की है। उसका कहना है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए बलात्कार के प्रयास का मामला भी बनता है। करीब चार साल पहले हरियाणा खेल विभाग की

चंडीगढ़ पुलिस का आवेदन रद्द होने पर पीड़िता ने खुद किया आवेदन। **आरोप** लगाया कि उसके साथ केवल छेड़छाड़ नहीं हुई थी, बल्कि बलात्कार का प्रयास भी किया गया था।

एथलेटिक्स कोच ने तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। महिला ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद संदीप सिंह ने हरियाणा के खेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने महिला कोच के आरोपों को खारिज किया था और इसे उनके खिलाफ साजिश बताया था।

बलात्कार के प्रयास की धाराएं जोड़ने की मांग पहले चंडीगढ़ पुलिस की ओर से भी अदालत में की गई थी। हालांकि निचली अदालत ने पुलिस की अर्जी खारिज कर दी थी। अब महिला कोच ने खुद अदालत में अर्जी देकर यही मांग दोहराई है। महिला कोच की अर्जी पर चंडीगढ़ कोर्ट में चार नवंबर को सुनवाई होगी। अब अदालत यह देखेगी कि मामले में बलात्कार के प्रयास से जुड़ी धाराएं जोड़ने की मांग पर क्या आदेश दिया जाता है।

हड़ताली कर्मियों ने फूँका मान का पुतला

चंडीगढ़, 28 अगस्त (ब्यूरो)। लंबित महंगाई भत्ता जारी करने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे पंजाब के कर्मचारियों ने शुक्रवार को होशियारपुर में मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला जलाया। यह प्रदर्शन मुख्यमंत्री मान के कथित 'उदासीन रवैये' और कर्मचारी प्रतिनिधियों से मिलने से उनके इनकार के विरोध में किया गया। कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से गुरुवार को सोशल मीडिया पर की गई उस पोस्ट की प्रतियां भी जलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि बैठक और आंदोलन, दोनों एक साथ नहीं चल सकते।



INDO FARM EQUIPMENT LIMITED
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

Indo Farm Equipment Limited
CIN: L29219CH1994PLC015132
Registered Office: SCO 859 N.A.C Manimajra Kalka Road, Chandigarh 160011, India, Phone: +91-9639630736
Website: <https://www.indofarm.in>; mail: Compliance@indofarm.in

कंपनी की 26वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग संबंधी जानकारी

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की 26वीं वार्षिक आम बैठक (‘एजीएम ’) बुधवार, 23 सितम्बर 2026 को प्रातः 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (‘वीसी’) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (‘ओएवीएम ’) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (‘ अधिनियम ’), तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (‘लिटिंटिग’ दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (‘सेबी लिस्टिंग विनियम’) के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, समय-समय पर यथासंशोधित, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (‘एमसीए सल्लुलर’) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (‘सेबी सल्लुलर’) द्वारा जारी लागू परिपत्रों के साथ पठित, एजीएम बुलने संबंधी सूचना (‘सूचना’) में निर्धारित कार्यो को संपन्न करने के लिए आयोजित होगी। उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वर्ष 2025-26 के लिए एक्यूकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 28 अगस्त, 2026 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए), एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(1)(डी) के अनुसार, इटीशेड वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए वेब-लिक, जिसमें सटीक पथ /क्यूआर कोड शामिल है, प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिनोंने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं किए हैं। 26वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <https://www.indofarm.in/> , स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा ई-वोटिंग एजेंसी अर्थात् नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (‘एनएसडीएल ’) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 108 के अनुपालन में, जिसे समय-समय पर संशोधित कंपनियाँ (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सेबी लिस्टिंग नियम के विनियम 44 और इस्टीमेट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी जनरल मीटिंग (एसएस-2) पर सेक्रेटरीयल स्टैंडर्ड के साथ पढ़ा जाए, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने मत डालने की सुविधा प्रदान की गई है। जिस व्यक्ति का नाम रिकॉर्डेड लिधि (कट-ऑफ लिधि) अर्थात् बुधवार,16 सितंबर, 2026 को सदस्यों / लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वही दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने या एजीएम में मतदान करने का हकदार होगा, जैसा भी मामला हो। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ लिधि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनको द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी:

रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ	रविवार, 20 सितंबर 2026 को प्रातः 09:00 बजे (भा.मा.स.)
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति	मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को सायं 05:00 बजे (भा.मा.स.)

ई-वोटिंग मॉड्यूल को तत्परचात एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उक्त समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ लिधि अर्थात् बुधवार, 16जी सितंबर, 2026 को शेयर रखता है, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालने के लिए www.evoting.nsdl.com या Compliance@indofarm.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो उसके मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग अपना वोट डालने के लिए किया जा सकता है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने और एजीएम में भाग लेने का तरीका:

i) सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यसूची के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा।

ii) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

iii) ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स सदस्यों को उनके ईमेल पते को ऊपर दिए गए तरीके से सफलतापूर्वक पंजीकृत करने के बाद ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।

iv) उन्हीं लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी किया जा सकता है।

श्री अजय के, अरोड़ा, प्रिविटेसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चंडीगढ़, को ई-वोटिंग प्रक्रिया, जिसमें रिमोट ई-वोटिंग भी शामिल है, की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है। निर्धारित अवधि के भीतर स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दी गई सभी टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विशेष रूप से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत को मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या सुबुभी पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को atevoting@nsdl.com पर लिखकर और ईमेल कर सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्य कंपनी के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को compliance@indofarm.in पर या ऊपर दिए गए पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी लिख सकते हैं।

इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर /—
नववीरत कौर
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या एफ8363